हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ..... खोहली ..... पर दिनांक 15/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/6/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। बहस हेतु सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील पर मनन किया गया। उभय दस्तावेज केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति आपत्ति के पक्ष में बनता पाया जाता है। अतः आ० पत्र स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 30/5/12 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को राजीनामा दावा स्थाई (confirm) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड से कमी हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Scanned by CamScanner